



Neutral Citation No. - 2026:AHC:53762

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 8944 वर्ष 2026

जान मोहम्मद उर्फ जानू

...आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

: अभिषेक शुक्ला, शिवम मिश्रा

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री अभिषेक शुक्ला, राज्य-प्रत्यर्थियों के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के तहत वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक जान मोहम्मद उर्फ जानू की ओर से थाना परीक्षितगढ़, जिला मेरठ में पंजीकृत केस क्राइम संख्या 02 वर्ष 2026, धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत विचारण लंबित रहने के दौरान उसे जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य के कारण इस मामले में झूठा फंसाया गया है। आपराधिक इतिहास के 10 मामलों को पर्याप्त रूप से स्पष्ट कर दिया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रभाकर तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, 2020 (11) एससीसी 648 और अभिमन्यु आदि बनाम केरल

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



राज्य, 2025 आईएनएससी 1136 के मामलों में दिए गए निर्णयों पर अवलम्ब लिया है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह टिप्पणी की है कि एक अभियुक्त के विरुद्ध कई आपराधिक मामलों का लंबित होना अपने आप में जमानत देने से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता।

यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक किसी गिरोह का सदस्य या नेता या आयोजक नहीं है और उसने अधिनियम की धारा 2 के खंड (ख) में सूचीबद्ध गिरोह की गतिविधियों को न तो उकसाया है और न ही उसमें सहायता की है। उपरोक्त मामले के अलावा आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक के न्यायिक प्रक्रिया से भागने या गवाहों के साथ छेड़छाड़ करने की भी कोई संभावना नहीं है। आवेदक, जो 04.09.2025 से जेल में बंद है, यह वचन देता है कि यदि उसे जमानत दी जाती है, तो वह स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी रेखांकित किया गया है कि न्यायालय में मामलों के भारी लंबित होने के कारण विचारण के शीघ्र समाप्त होने की कोई संभावना नहीं है।

इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक की जमानत की प्रार्थना का विरोध किया है, लेकिन आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिखाए गए मामलों के अलावा आवेदक के विरुद्ध किसी अन्य मामले का उल्लेख नहीं किया है।

तथ्यों की समग्रता, प्रकृति और अभिलेख से प्रतिबिंबित साक्ष्यों पर विचार करने के बाद और अधिनियम की धारा 19(4) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए तथा मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मुझे यह जमानत के लिए एक उपयुक्त मामला प्रतीत होता है। अतः, वर्तमान जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

आवेदक, **जान मोहम्मद उर्फ जानू** को उपर्युक्त केस क्राइम संख्या में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि की दो विश्वसनीय जमानतें प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को बताने से विमुख हो या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ न करे।

(ii) आवेदक अभियोजन गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/धमकाएगा नहीं।

(iii) आवेदक (i) मामले की शुरुआत, (ii) आरोप तय करने और (iii) बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के तहत बयान दर्ज करने के लिए नियत तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

(iv) आवेदक इस आशय का एक वचन पत्र दाखिल करेगा कि वह साक्ष्य के लिए नियत तिथियों पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा जब गवाह विचारण न्यायालय में उपस्थित हों।

(v) आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर या तो व्यक्तिगत रूप से या अपने वकील के माध्यम से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

उपरोक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात इस जमानत आवेदन के निर्धारण के उद्देश्य तक सीमित है और इसे किसी भी तरह से मामले के गुण-दोष पर अभिव्यक्ति के रूप में नहीं माना जाएगा। विचारण न्यायालय इस आदेश में कही गई किसी भी बात से प्रभावित हुए बिना पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर अपने स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र होगा।

(माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव)

17 मार्च, 2026

रवि प्रकाश

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।